आदिवासी वंचना
उभरते प्रश्न

जनक सिंह मीना

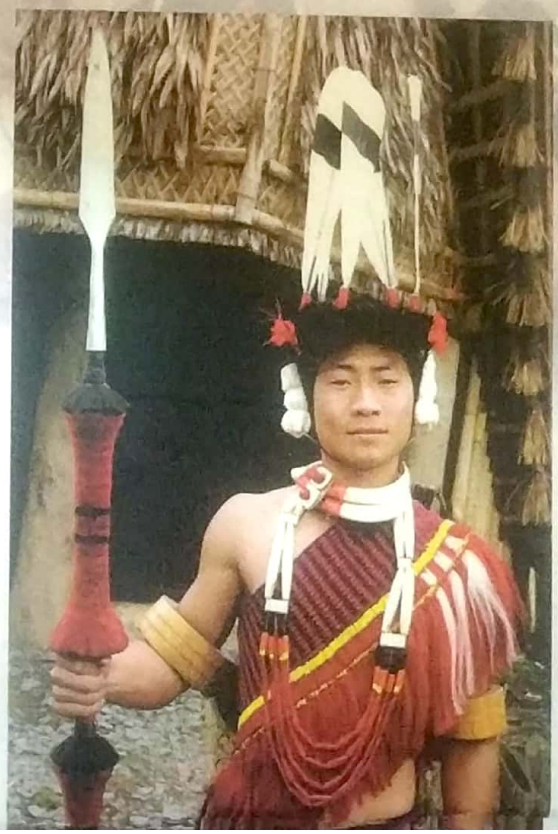

Scanned by CamScanner

28

भील जनजाति की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

डॉ. सुनिता बोहरा

राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां

सन् 1981 की जनगणना के पश्चात् राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जातियों की एक सूची प्रकाशित की जिसमें 12 अनुसूचित जनजातियों का उनकी उप–जनजातियों के साथ उल्लेख किया है। सूची में वर्णित जनजातियां तथा 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या इस प्रकार है –

1. भील, भीला, गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी–गरासिया, मेवासी–भील, रावल–भील, तडवी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे (जनसंख्या 23,05,982)
2. भील–मीणा (32,592)
3. दामोर, दमारिया (43,612)
4. धानका, तडवी, तेवड़िया, वालवी (33,844)
5. गरासिया (राजपूत गरासियों को छोड़कर) (1,48,197)
6. काथोडी, कलकडी, ढार काथोडी, ढोर कटकडी, सोन काथेडी, सोन कटकडी (2,984)
7. कोकना, कोकनी, कूकना (710)
8. कोली, ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलणा(2973)
9. मीणा (27,99,167)
10. नैकदा, नायका, चोलिया/पटेलिया नायका, कापडिया नायका, मोटा नायक, नाना नायक (11,627)।

Scanned by CamScanner

11. पटेलिया (2,554)
12. सहरिया, सहारिया (59,810)
13. अवर्गीकृत (30,829)

राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 23,09,447 जनजातीय लोग निवास करते थे जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11. 2 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 104 मिलीयन हैं, जिसमें से राजस्थान में 12.6 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं। देश में जनजातीयों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पांचवां है।

जनजातीय निवास के आधार पर वितरण

यदि हम प्रत्येक जनजाति के निवास के आधार पर राज्य की जनजातीय जनसंख्या का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि 70 प्रतिशत भील लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में रहते हैं और शेष भाग अलवर, चितौड़, कोटा, बूंदी व डूंगरपुर जिलों में रहता है।

साक्षरता

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 67.06 है, परन्तु जनजातियों में यह प्रतिशत 52.66 है। साक्षरता का प्रतिशत स्त्रियों में तो बहुत ही कम है। जनजातियों में बीकानेर जिले में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक तथा जालोर जिले में सबसे कम है।

भील जनजाति

भील राजस्थान की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से ये लोग अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

कर्नल टॉड, ओझा तथा अनेक इतिहासकारों के प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि भील लोग ही दक्षिणी तथा दक्षिणी–पश्चिमी राजस्थान के मूलवासी थे। राजपूतों ने भीलों को पराजित कर अपने राज्यों की स्थापना की थी। उदाहरण के रूप में, कुशलगढ़ का कुशला भील राठौड़ वंशज के राजपूतों द्वारा पराजित किया गया तथा राठौड़ों ने वहां अपने राज्य की

Scanned by CamScanner

स्थापना की। डूंगरपुर राज्य से इसी प्रकार डूंगरिया भील का संबंध जुड़ा हुआ है। बांसावाड़ा राज्य में बांसिया भील का आधिपत्य था। ये लोग राजपूतों द्वारा अपदस्थ कर दिये गये । इन लोगों ने वन्य प्रदेशों एवं बीहड़, निर्जन स्थानों में शरण ली। चूंकि ये लोग यहां के विभिन्न क्षेत्रों, मार्गों एवं भौगोलिक परिस्थितियों से पूर्णरूपेण अवगत थे, परिणामस्वरूप राजपूत राजाओं के लिये ये एक समस्या के रूप में बने रहे। इस प्रकार नवीन राजपूती राज्यों में इनके आतंक के परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सदैव बनी रहती थी। कतिपय राजपूत राजाओं ने तो अपनी दूरदर्शिता का परिचय देकर भील सरदारों की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, उन्हें सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान की। वैसे कुशलगढ़ तथा मेवाड़ राज्यों में भीलों को परंपरागत पद–सोपान–क्रम में अस्पृश्य जातियों से ऊँचा दर्जा प्रदान किया गया। राजपूत लोग उनमें छूआछूत का भेदभाव नहीं रखते थे। मुगलों के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप राजपूतों तथा भीलों के मध्य निकटता और भी अधिक बढ़ गयी। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जिसमें भीलों ने राजपूत राजाओं का युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साथ निभाया, उनकी सम्पति की रक्षा की तथा हारने पर वन में उन्हें आश्रय दिया। इस प्रकार स्वाभिमानी भीलों का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। इनकी गिनती भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों में मानी जाती है। राजस्थान से बाहर, भारत के अन्य प्रदेशों में भी ये लोग निवास करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश तथा गुजरात में ये लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं।

राजपूती रियासतों में यह प्रथा दीर्घकाल तक अस्तित्व में रही है जबकि कोई राजा गद्दी पर बैठता था तो उसका गद्दी का अधिकार तब तक वैध नहीं माना जाता था, जब तक उस क्षेत्र का भील सरदार उसे मान्यता प्रदान न कर दे। सिसोदिया वंश के राजाओं में तो गद्दी पर बैठने वाले राजा का राजतिलक भी भील सरदार करता था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि राजपूत राजाओं ने इनका सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया।

भीलों की उत्पत्ति एवं इतिहास

भीलों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। संस्कृति साहित्य में निशद जाति' का वर्णन है। रामचरित मानस में निषाद ने राम के वन जाने

Scanned by CamScanner

के समय राम को नाव द्वारा गंगा पार करवाया था। निष भील जाति का ही था। भील स्वयं को महादेव (शंकर भगवान) की सन्तान मानते हैं।

भील शब्द द्रविड़ भाषा के शब्द 'वील' अथवा 'वीलू' से बना है जिसका तात्पर्य है 'धनुष'। कहा जाता है कि धनुर्विद्या में ये निपुण थे तथा वर्तमान समय तक भी भील जनजाति के लोग निर्भय होकर बीहड़ वनों में फिरते रहते हैं। निशाना लगाने में इन्हें पूर्ण दक्षता हासिल रहती है। कुछ लोग भील शब्द की उत्पति ग्रीक भाषा के भिल्लू शब्द से मानते हैं जिसका तात्पर्य धनुष से है। अनेक प्राच्य ग्रन्थों में इनका उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत तथा जैन–कथाओं में अनेक उदाहरण भील जनजाति से संबंधित मिलते हैं।

रसेल तथा हीरालाल ने लिखा है कि पहले भीलों के गांवों में चौकीदार के रूप में रखने की प्रथा थी। वे लोग समस्त मार्गो से अवगत रहते थे तथा ऊँचे–ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ने की दक्षता रखते थे।

प्रजाति

हर्बट रिजले ने राजस्थान के भीलों का अध्ययन कर उन्हें द्रविड़ प्रजाति का माना। डी.एन.मजूमदार ने इन्हें पूर्व द्रविड़ प्रजाति की श्रेणी में रखा है। गुप्ता ने भीलों तथा दक्षिण भारत को चेंचू जनजाति में प्रजातीय आधार पर समानता का उल्लेख किया है। 1944 में स्टीफन फ्यूच ने भीलों के अध्ययन के आधार पर उन्हें एक सर्वाधिक आदिमसमूह के रूप में माना। वैसे पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, ऐतिहासिक विवरणों तथा प्राप्त प्रजातीय तथ्यों के आधार पर उन्हें देश के प्राचीनतम मूलवासियों में माना जा सकता है। आर्यो के भारत में आने से पूर्व इनके अस्तित्व के उदाहरण पुराणों एवं अन्य महाकाव्यों में मिलते हैं। परन्तु उनको सांस्कृतिक अवस्थाओं, प्रथाओं, व्याप्त विश्वासों तथा सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए (जो कि वर्तमान समय तक अस्तित्व में है), यह कहना अनुचित न होगा कि वे न तो आर्य ही थे तथा न ही द्रविड। कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे हम इस बात पर विश्वास कर सके कि वे किस प्रकार वर्तमान समय में संस्कृति के निचले स्तर पर पहुँच गये। द्रविड़ तो उच्च सांस्कृतिक अवस्था में थे। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि भील लोग आर्यो तथा द्रविड़ों से पूर्व ही भारत में आकर रह रहे थे।

Scanned by CamScanner

विवाह

भीलों के कई वर्ग होते हैं। एक मुखिया रावत वर्ग जो गांव का प्रमुख होता है, वह एक से अधिक विवाह कर सकता है, क्योंकि वह धनी वर्ग में आता है और एक से अधिक पत्नियां रखना, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्मान का सूचक माना जाता है। दूसरा वर्ग निर्धन वर्ग है, इस वर्ग के भील सामान्यतः एक विवाह करते हैं। एन.डी. चौधरी ने राजस्थान के भीलों पर अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने यह पाया कि उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत भील पुरूषों के एक से अधिक स्त्रियां हैं। भीलों में एक 'पाल' में रहने वाले लोग परस्पर विवाह संबंध नहीं करते हैं। इनमें बाल्यकाल से ही लड़की–लड़कों के सम्पर्क पशु चराने के समय होते हैं, किन्तु विवाहोपरान्त ये लोग किसी अन्य से सम्पर्क रखना अपराध मानते हैं। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है। विवाह के लिये पति को 'दापा' अर्थात् वधू–मूल्य देना होता है। विवाह के समय किसी पण्डित की आवश्यकता नहीं होती। वर वधु से परिक्रमाएं लगवाई जाती है। इस प्रकार दोनों पक्षों के सामने विवाह सम्पन्न हो जाता है। विवाह में शराब एवं मांस का प्रयोग अधिक किया जाता है। धनी भील अच्छी शराब एवं उत्तम मांस का प्रयोग करते हैं जबकि निर्धन लोग निम्न श्रेणी का मांस एवं शराब प्रयोग में लाते हैं।

भील लोगों में नाता प्रथा भी होती है। नाते से स्त्री की इज्जत कम होती है। ज्यादा पत्नियों वाले भील की इज्जत ज्यादा होती है। सरकारी कर्मचारी भी एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। एक 'पाल' में रहने वाले अथवा एक गांव में रहने वाले भील परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं करते हैं। भील लोगों में 'अपहरण–विवाह' भी पाया जाता है। भगाने वाला पुरूष कुंवारा विवाहित अथवा विधुर भी हो सकता है। लड़की के चले जाने के कारण लड़के के परिवार वाले हर्जाने के रूप में वधु–मूल्य ग्रहण करते हैं। इसे 'नातेरा की रकम' भी कहते हैं। यदि किसी ने नातेरा की रकम समय पर नहीं चुकाई तो वह बाद में भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त सहपालन–विवाह भी इनमें पाया जाता है। विधवा एवं तलाक प्राप्त स्त्री 'नापा या नाता' कर लेती है। पुनर्विवाह करने पर 'झगड़े' के रूप में पहले वाले पति को कुछ रकम देनी होती है। यह रकम पर झगड़े की राशि दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं जो 300 से लेकर 900 रूपये तक हो सकती है। भील लोगों में 'देवर–विवाह',

Scanned by CamScanner

'विनिमय–विवाह', 'सेवा–विवाह' एवं 'क्रय विवाह' भी प्रचलित है। तलाक की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। स्त्री के व्यभिचारिणी, बंध्या अथवा कुलक्षणा की होने पर उसकी साड़ी फाड़कर उसमें एक रुपया बांधकर पुरुष के रिश्तेदार या पंचायतों को दे देते हैं। स्त्री द्वारा तलाक देने पर उसे वधू–मूल्य लौटाना पड़ता है।

भील जनजाति में महिलाओं की स्थिति

भील स्त्रियों के वधू–मूल्य या दापा और बहुविवाह इन दोनों प्रथाओं के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें एक वस्तु की भांति खरीदा जाता है इसलिए उन्हें खेती पर, वनों में एवं मकान पर दिन–रात कार्य करना पड़ता है। पति नशेबाज होते हैं और वे कुछ कार्य नहीं करते, ऐसी स्थिति में स्त्रियों को ही अपने पति, बच्चों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्त्रियों की दशा शोचनीय बनी रहती है।

आमतौर पर स्वीकृत परंपरागत मानदण्डों के अनुसार परिवार में पुरुष का स्थान स्त्रियों की अपेक्षा ऊँचा है। दोशी ने महिलाओं की निम्नलिखित प्रस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि उनके अधिकारों का दायरा सीमित है। पुरुषों को श्रेष्ठ प्रस्थिति प्राप्त है। पुरुष स्त्रियों के लिए दुर्व्यवहार तथा कभी–कभी गाली–गलोच अथवा अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया इस संबंध में व्यक्त न करें तथा मौन रहे। यदि एक स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो उसे पति के द्वारा दण्डित किया जाता है। उसे मारा–पीटा जाता है जिसके परिणामस्वरूप समस्त गांव में उस स्त्री की बदनामी होती है। घोटाली की भील महिलाओं के बारे में एक भिन्न मत शशि ने अपनी रचना में व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने पुरुषों की बहुत अधिक परवाह नहीं करती हैं। पति का व्यवहार जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की प्रतिक्रिया पत्नि के व्यवहार में व्यक्त होती है। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें पत्नी ने पति के साथ मारपीट की है। स्त्रियां यौन–संबंधी नैतिक नियमों का भी कठोर रूप से पालन नहीं करती है। यदि स्त्री अपने पति से नाखुश होती है तो उसे कई नामों से संबोधित करती है तथा उससे अपना संबंध–विच्छेद भी कर सकती है। अन्यत्र कवरिया तथा बांसिया भीलों में पत्नी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति का सम्मान करे तथा उसके प्रति वफादार हो।

Scanned by CamScanner

स्त्रियों के लिये विवाह की सामाजिक रूप से अनिवार्यता है। विवाह के पश्चात् वह अपने पति के घर जाकर रहती है। लेकिन जहां घर जंवाई का चलन है, वहां वह अपने पिता के निवास पर ही रहती है। ये बहुत परिश्रमी होती है। आमतौर पर 12 या 13 वर्ष की आयु में ही एक लड़की घर के समस्त कार्यों को करने लग जाती है।

हिन्दुओं के संयुक्त परिवारों में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा भील स्त्रियों की स्थिति अधिक अच्छी है। इसका एक कारण यह भी है कि भील स्त्री अपने ससुर के निवास (संयुक्त परिवार) पर अल्प समय के लिये ही रहती है। कभी–कभी विवाह के पश्चात् तुरन्त ही तथा कभी–कभी कुछ समय के अन्तराल के बाद पति–पत्नी अपना अलग निवास बनाकर रहने लगते हैं। इनमें नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं।

बहुपत्नी परिवारों में वरिष्ठतम पत्नी की स्थिति अधिक सम्मानजनक मानी जाती है। विभिन्न पारिवारिक मामलों में उसकी बात को अधिक महत्ता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में भी उसे अन्य सहपत्नियों की अपेक्षा ऊँची स्थिति प्राप्त होती है। विभिन्न सह–पत्नियों के मध्य संबंध आमतौर पर तनावपूर्ण ही बने हुए रहते हैं, इसलिये कभी–कभी पति का सामर्थ्य होने पर उनके लिये पृथक–पृथक निवास की व्यवस्था भी करता है। यथार्थ में जो पत्नी पति का अधिक स्नेह प्राप्त कर सकने में सफल होती है, उसकी स्थिति अन्य सह–पत्नियों की अपेक्षा अच्छी होती है।

विधवा की जो दयनीय स्थिति हिन्दू समाज में है, भील समाज उससे बचा हुआ है। अधिकांशतया वे पुनर्विवाह कर लेती हैं। मात्र वृद्ध विधवाएं ही पुनर्विवाह नहीं करती है। परन्तु ऐसी विधवाएं परिवार के सदस्यों का सम्मान प्राप्त करती है। इनमें देवर–भाभी विवाह का चलन है। जीजा–साली विवाह का चलन नहीं पाया जाता। विधवा व तलाक प्राप्त स्त्री 'नाता' प्रथा द्वारा पुनर्विवाह कर लेती है।

आभूषण भील स्त्रियों की एक दुर्बलता है। कभी–कभी शरीर का अधिकांश भाग आभूषणों से ढका जाता है। आर्थिक क्षेत्र में इनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परिवार में पुरूषों की भांति ही ये भी अनेक प्रकार के आर्थिक क्रिया–कलापों में भाग लेती है तथा परिवार की अर्थव्यवस्था को

Scanned by CamScanner

सुचारू बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भील जनजाति के सामाजिक संगठन की विवेचना से भील जनजाति की महिलाओं की प्रस्थिति जानने की जिज्ञासा हुई जिससे प्रेरित होकर "भील जनजाति में महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन" विषय के अन्तर्गत जोधपुर के प्रताप नगर स्थित एकलव्य भील बस्ती को अध्ययन क्षेत्र चुना। लेकिन सबसे पहले यह तथ्य सामने आया कि बस्ती का नाम 'एकलव्य भील बस्ती' था लेकिन बस्ती में मात्र 25 घर ही भीलों के थे। अन्य सभी दूसरी जातियों के पाए गए। प्रस्तुत अध्ययन में 50 महिलाओं को सरल दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा अध्ययन के लिए चुना गया।

शिक्षा संबंधी जानकारी – जिसमें 95 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित थी। शिक्षा संबंधी जानकारी में महिला उत्तरदाताओं से उनके **पति की शिक्षा** संबंधी जानकारी में 70 प्रतिशत अशिक्षित पाए गए एवं 20 प्रतिशत मिडिल शिक्षित व 10 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे। शिक्षा संबंधी जानकारी में महिला उत्तरदाता से यह भी जानना चाहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या नहीं? जो तथ्य प्राप्त हुए उनमें 20 प्रतिशत ने हां एवं 80 प्रतिशत ने नहीं में जानकारी दी। जब 'नहीं' का कारण पूछा गया तो प्रमुख कारणों में गरीबी, स्कूल का दूर होना बताया गया।

अध्ययन से संबंधित महिलाओं से उनके स्वयं के व्यवसाय संबंधी जानकारी में 50 प्रतिशत महिलाएं कागज चुगने का कार्य कर रही थी एवं 30 प्रतिशत महिलाएं गधे ढ़ोने का कार्य कर रही थी एवं 10 प्रतिशत भवन निर्माण में मजदूरी का कार्य एवं 10 प्रतिशत महिलाएं गृहणी थी। महिलाओं के व्यवसाय की स्थिति उनके अशिक्षित होने का आभास करवा रही है। पति के व्यवसाय संबंधी जानकारी में 30 प्रतिशत बेरोजगार थे। जिसका कारण कच्ची शराब का अधिक सेवन करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाना था। अतः वे काम करने की स्थिति में नहीं थे। 50 प्रतिशत गधे ढ़ोने का कार्य कर रहे थे एवं 20 प्रतिशत भवन निर्माण में मजदूरी पर लगे हुए थे। व्यवसाय संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं व्यवसाय से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अतः आर्थिक दृष्टि से भी वे परिवार का भरण–पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

Scanned by CamScanner

सामाजिक–आर्थिक स्तर की जानकारी में लगभग सभी का सामाजिक–आर्थिक स्तर निम्न था। परिवार के प्रकार संबंधी जानकारी में 70 प्रतिशत एकल परिवार व 30 प्रतिशत संयुक्त परिवार पाए गए। चूंकि अध्ययन विषय भील जनजाति में महिलाओं के प्रति हिंसा था। अतः सबसे पहले उत्तरदाता से जानकारी ली गई कि –

1. क्या आप अपने परिवार में अपनी प्रस्थिति से संतुष्ट हैं?

जिसमें उत्तरदाता से जानकारी में पाया गया –

हां	नहीं	कुल
30 प्रतिशत	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत

2. क्या परिवार में आपके साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है?

हां	नहीं	कुल
30 प्रतिशत	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत

जिन 70 प्रतिशत उत्तरदाता ने हिंसात्मक व्यवहार में 'हां' की जानकारी दी उनसे पूछा गया कि 'किस प्रकार की हिंसा आपके साथ की जाती है?'

जिसमें 35 महिलाओं में से 20 ने जानकारी दी कि मारपीट हमेशा की जाती है। 15 ने जानकारी दी कि घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। कभी–कभी पूरी रात बच्चों के साथ घर के बाहर ही बैठकर निकालनी पड़ती है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता से पूछा गया कि 'क्या आपके पति किसी प्रकार का नशा करते हैं?

इस संबंध में सभी महिला उत्तरदाताओं ने हां में जानकारी दी।

इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा गया कि 'यदि आपके पति नशा करते हैं तो नशे के बाद उनका व्यवहार आपके प्रति किस प्रकार होता है?

सामान्य	हिंसात्मक	कुल
20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	100 प्रतिशत

हिंसात्मक व्यवहार की जानकारी देने वाली 80 प्रतिशत महिलाओं में से 70 प्रतिशत ने मारपीट, घर से बाहर निकालना, बच्चों को पीटना संबंधी जानकारी दी जबकि 10 प्रतिशत ने गाली–गलोच करने संबंधी जानकारी दी।

Scanned by CamScanner

महिलाओं के साथ हिंसा संबंधी जानकारी को अधिक गहराई से जानने के लिए यह भी पूछा गया कि 'परिवार के अन्य सदस्य आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं?

सामान्य	हिंसात्मक	कुल
20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	100 प्रतिशत

जिन 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हिंसात्मक व्यवहार की जानकारी दी उनसे पूछा गया कि अगर हिंसात्मक व्यवहार क्यों? जिसकी जानकारी में यह तथ्य प्राप्त हुआ। 16 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज कम लाने की वजह और 4 प्रतिशत महिलाओं ने जेठ व सास द्वारा घर पर कब्जा करने का कारण बताया। जानकारी के स्तर को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत अध्ययन में यह भी पूछा गया।

संतान के रूप में आपके परिवार वाले आपसे क्या चाहते थे?

सभी 50 उत्तरदाताओं ने 'लड़का' संबंधी जानकारी दी।

प्रस्तुत अध्ययन में भील जनजाति की महिला उत्तरदाताओं से यह भी पूछा गया कि दूसरी या तीसरी लड़की के जन्म देने पर भ्रूण परीक्षण के लिए आपको बाध्य किया गया?

प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित उत्तरदाताओं को भ्रूण परीक्षण संबंधी जानकारी नहीं थी। लेकिन अध्ययन से संबंधित 4 उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि तीसरी व चौथी लड़की होने पर 'जापा' नहीं डाला गया। प्रस्तुत अध्ययन में महिला उत्तरदाता से यह भी पूछा गया कि 'क्या आपके पति का बचपन हिंसा या विवादग्रस्त से गुजरा है?

इसकी जानकारी में सभी उत्तरदाता ने हां में जानकारी दी और बताया कि इस बस्ती में हमेशा की बात है। रात में पति द्वारा पिटाई करना। ऐसा ही व्यवहार उनके पूर्वज भी करते आये।

इस अध्ययन में महिला उत्तरदाता से यह भी जानना चाहा कि 'अगर आपके साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है तो क्या आप उसका विरोध करती है?

हां	नहीं
25	10

जिन 25 महिलाओं ने 'हां' में जानकारी दी उनसे पूछा गया कि वो किस प्रकार विरोध करती है?

Scanned by CamScanner

10 ने कहा, पुनः पति को पीटती है। 15 ने कहा घर का कामकाज छोड़ देती हैं। यहां तक कि खाना भी नहीं बनाती हैं। 10 महिलाओं ने नहीं में जानकारी दी। उनसे भी कारण जानना चाहता तो उन्होंने बताया कि वे अकेली पड़ जाती हैं और कुछ ने कहा रहना तो इसी घर में है अगर विरोध ा करेंगे तो हमेशा–हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे इसलिए विरोध नहीं करती।

निष्कर्ष – कहा जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित 50 भील महिलाओं के परिवार में हिंसा संबंधी अध्ययन में प्रमुख समस्या के रूप में अशिक्षा को देखा गया है। दूसरा कारण गरीबी को देखा गया। भील जनजाति की महिलाओं को परिवार में उनकी प्रस्थिति के बारे में 70 प्रतिशत महिलाएं अपनी प्रस्थिति से असन्तुष्ट थी। यहां तक कि 70 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी स्वीकार किया कि उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है। जिसमें मारपीट, घर से निकालना, गाली गलोच की जानकारी मिली। पति के नशे संबंधी जानकारी में सभी ने हां में जानकारी दी। यह भी बताया गया कि वे कच्ची शराब का सेवन करती हैं। जिसे उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना डाला है। इसलिए वे काम धन्धा भी नहीं करते हैं। 80 प्रतिशत उत्तरदाता ने पति के नशे के बाद हिंसात्मक व्यवहार की जानकारी दी। 20 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी बताया कि परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। जिसमें जेठ, सास, देवर द्वारा हिंसात्मक व्यवहार की जानकारी मिली। जिसका प्रमुख कारण दहेज एवं घर पर कब्जा करना था।

चूंकि पुरूष व महिला अशिक्षित व गरीब है। जिस कारण भ्रूण परीक्षण संबंधी जानकारी नहीं थी। लेकिन परिवार वाले संतान के रूप में लड़का ही चाहते हैं। तीसरी या चौथी लड़की होने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। भील महिलाओं से पति की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना चाहा जिसमें सभी ने पति के बचपन को हिंसा से जोड़ा क्योंकि हमेशा हिंसात्मक व्यवहार होते थे और होते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में 25 महिलाएं अपने साथ होने वाली हिंसा का विरोध करती हैं। जबकि 10 प्रतिशत नहीं करती हैं। इसके पीछे सामाजिक कारण को माना जा सकता है। क्योंकि इनके समाज की संरचना एवं

Scanned by CamScanner

परिस्थितियां ऐसी ही है। प्रस्तुत अध्ययन में एक तथ्य यह भी सामने आया कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप से आर्थिक उत्पादन कर रही है। फिर भी इनकी प्रस्थिति ठीक नहीं है। यानि आर्थिक कारक हमेशा महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होते जबकि सामाजिक कारकों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

समाधान – महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों ने स्त्रियों को अधिकार दिलाने एवं उनमें जागृति लाने के प्रयत्न किए। रामाबाई रानाडे, मेडम कामा, तोरदत्त, मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेण्ट आदि महिलाओं तथा 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों की निर्योग्यताओं को कम करने एवं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए। महात्मा गांधी स्त्री–पुरूषों की समानता के समर्थक थे। उन्होंने स्त्रियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए – स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और अपने प्रति किए जाने वाले हिंसा का विरोध कर सकेगी।

महिला संगठनों का निर्माण – पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक सम्बल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए। ऐसे संगठन पीड़ित महिला के पति, सास–ससुर एवं ससुराल पक्ष वालों से बातचीत कर, उन पर सामाजिक व नैतिक दबाव डालकर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें। व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर यदि महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाएंगे तो वे अधिक कारगार होंगे।

बैल बजाओ अभियान – गौरतलब है कि आज भी हर तीन में से एक महिला बंद दरवाजे के पीछे घरेलु हिंसा का शिकार होती है। ऐसी महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली भारतीय मूल की अमेरीकी हिंसा का शिकार होती

Scanned by CamScanner

है। ऐसी महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली भारतीय मूल की अमरीकी मानवाधिकार कार्यकर्ता मल्लिका दत को इस साल अमरीकी करेज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एशियन अमरीकन जस्टिस सेंटर ने भारत और अमरीका में मानवाधिकारों की लडाई में किए गए योगदान के लिये दिया है।

मल्लिका कहती है – आमतौर पर घरेलु हिंसा को व्यक्तिगत मुद्दे के तौर पर देखा जाता है। शायद यही वजह है कि लोग इसे प्रावेट मैटर समझकर ऐसी महिला की मदद करने के लिये आगे नहीं आते, जो पति के अमानवीय व्यवहार की शिकार होती है। अभियान की खास बात यह थी कि इसमें खुद पुरूषों से घरेलू हिंसा के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की थी। तकरीबन दस साल पहले देश में 'बेकथू' नाम के संस्थान की स्थापना की और महिलाओं के अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। 'बेकथू' ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है, जो शिक्षा, बौद्धिक और लोकप्रिय सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। 2008 में घरेलू हिंसा के विरोध में भारत में जारी इनका 'बैल बजाओ' अभियान काफी सफल रहा था। इस कैंपेन में लोगों से अपील की गई कि वे आगे आएं और महिलाओं की मदद के लिए बैल बजाएं।

भील जनजाति महिलाओं में 'बैल बजाओ अभियान की जगह 'दरवाजा खटखटाओ अभियान' की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी कई महिलाएं सामने आई जो सरकारी या गैर सरकारी सहायता की अपेक्षा रखती हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 'दी ट्राईबल पिपुल ऑफ इण्डिया'
2. व्यास एन.एन, राजस्थान भील्स
3. मजूमदार व मदान, 'एन इन्ट्रोडक्शन टू सोश्यल एन्थ्रोपोलोजी
4. इण्डियन एन्थ्रोपोलॉजीकल सोसायटी, टाइबल वीमन इन इण्डिया
5. एस.एस. शशि, ट्राइबल वीमन ऑफ इण्डिया, संदीप प्रकाशन, दिल्ली
6. जे.पी. सिंह, ट्राईबल वीमन एण्ड डवलपमेंट

Scanned by CamScanner